>

Title: Request the government to take action against the Police Force of West Bengal for misbehaving with my family

श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव): अध्यक्ष जी, मैं सदन में एक गंभीर विषय रखना चाहता हूँ, जो मुझसे संबंधित है। पश्चिम बंगाल के प्रशासन द्वारा स्थानीय राज्य सरकार के निर्देश के माध्यम से प्रतिदिन नियम-कानून का उल्लंघन करते हुए शांति व्यवस्था भंग हो रही है। महोदय, दिनांक 17.03.2020 को रात में लगभग एक से दो बजे के बीच बिना किसी सूचना के हमारे आवास, ठाकुरबाड़ी में राज्य सरकार के प्रशासन की लगभग आठ से दस गाड़ियां जबरन घर में घुस गयीं और हमारे घर से सामान लूट लिया गया तथा हमारे कार संचालक और कुछ समर्थकों को बंदी बना लिया गया है। …(व्यवधान) प्रशासन के द्वारा हमारे घर-परिवार के सदस्यों को अपशब्द और मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को अन्दर करने का विचार चल रहा है। महोदय, इसके साथ पश्चिम बंगाल पुलिस ने मेरे घर के सामने घेराबंदी कर रखी है, जिससे न कोई बाहर आ पा रहा है और न ही कोई अंदर जा पा रहा है। …(व्यवधान) यह घटना पहली बार नहीं हुई है। जब भी मैं संसद की कार्यवाही में भाग लेने दिल्ली आता हूँ, हमेशा राज्य प्रशासन हमारे परिवार के ऊपर अत्याचार करता है, जिसकी वजह से हमारे परिवार के अन्दर एक डर का माहौल पैदा हुआ है। सर, मैं बहुत दुख के साथ यह कहना चाहता हूँ कि एक सांसद के साथ अगर ऐसा होता है, तो आम नागरिक वहां कैसे जीवन बिता रहा होगा? …(व्यवधान) मैं इस विषय पर आपको बताना चाहता हूँ। …(व्यवधान) एक बात है कि जो पश्चिम बंगाल के आम नागरिक, आप जो सोच रहे हैं कि एक समय था जब डाकू आ कर घर में लूट लेता था, लेकिन अभी इतना डर पैदा हुआ है कि पुलिस-प्रशासन गाड़ी ले कर आता है और घर लूट कर ले जाता है, डकैती कर लेता है। …(व्यवधान) मैं यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। …(व्यवधान) इस विषय को सुरक्षा देने के लिए आप थोड़ी कृपा करें। …(व्यवधान) इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुशील कुमार सिंह, डॉ. सुभाष सरकार, श्री सौमित्र खान, श्री हरीश द्विवेदी, श्री राम कृपाल यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री जॉन बर्ला एवं श्री राजीव प्रताप रूडी को श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों का अविलम्ब लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए आग्रह आया है। मैं प्रयास करूंगा कि विधायी कार्य के पश्चात शाम को सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया जाए।

सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri A. Raja *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: Now we will take up Item No. 11 – Matters under Rule 377.